रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266797
CG-DL-E-09102025-266797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4448]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947
No. 4448]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4576 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और इसी प्रकार की अन्य गैसें) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योग की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की पहली अनुसूची की मद 29 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा माना जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2118(अ), तारीख 9 मई, 2025 द्वारा अंतिम बार तारीख 9 मई, 2025 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और किसी प्रकार की अन्य गैसें) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योग की सेवाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, तारीख 9 नवंबर, 2025 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा.सं. एस-11017/08/2024-आईआर (पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 4576(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of the industry engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like), which is covered under item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), herein after referred to as the said Act, to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 9th May,2025 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2118(E), dated the 09th May, 2025;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like) to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 9th day of November, 2025.

[F.No. S.11017/08/2024 -IR (PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.09 14:01:29 +05'30'